

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
 वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005
 (दूरभाष नं०:- 0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.3(ख)(1) (सेवानिवृति)/अलेसे-11/ 728

दिनांक : 16-2-2026

आदेश संख्या 531/2025-26

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प1(6)वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अन्तर्गत निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 को 60 वर्ष की अधिवाषिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से (मध्याह्न पश्चात) राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	लिंक नम्बर	मेरिट नम्बर	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 (सर्वश्री)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	5505	487/94	ताराचन्द सैनी	05-06-1966	30-06-2026	-
2.	5058	5R/92	परमिन्दर सिंह सैनी	17-06-1966	30-06-2026	जांच विचाराधीन
3.	4541	611/88	भंवर सिंह चौहान	15-09-1966	30-09-2026	-
4.	4035	259/90	अनिल कुमार आचार्य	27-12-1966	31-12-2026	-
5.	8917	93R/94	नरपत सिंह राजपुरोहित	01-01-1967	31-12-2026	-
6.	5179	433/90	तिलकराज अजमेरा	07-01-1967	31-01-2027	-

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में क्र.सं. 02 को छोड़कर यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अंकित सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

उपरोक्त अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 में से राजकीय आवास में अधिवासित कार्मिकों को आवंटित राजकीय आवास सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही रिक्त करना अनिवार्य है ।

(संध्या शर्मा)
 13/2/2026

निदेशक एवं पदेन
 संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 16-2-2026

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (सेवानिवृत्त) अलेसे-11/ 728

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर ।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
4. कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्षको प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश के जारी होने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित हो अथवा ऐसी स्थिति हो जो पेंशन को प्रभावित करती हो, तो अविलम्ब इसकी सूचना संबंधित पेंशन कार्यालय तथा इस विभाग को भिजवायें जिससे उचित कार्यवाही की जा सकें ।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया ।
6. संयुक्त निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
7. श्रीसहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 ।
8. अलेसे-11/111/डीपीसी/जांच शाखा/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाईल ।

(सीमा कौशल)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-11/111)